चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 24.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेंद्रचंद्र पांडेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अरविंद कुमार सिंह व उनके हमराही द्वारा वाद संख्या 46/24 धारा 125(3) सीआरपीसी के वारंटी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र गणेश प्रसाद निवासी भौंरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट एवं मु0न0 09/2019, अ0सं0 585/2010 धारा 363,366 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त कला उर्फ विकास पुत्र भवना 2.भवना पुत्र जगदेव धोबी निवासीगण पाहकंजारी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री

अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चंद्र पांडेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 38/022 धारा 304 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त धर्मराज सिंह उर्फ लुल्ला पुत्र चंद्रभान निवासी रामपुर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कारावास व 10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.03.022 को वादी रमाकांत उर्फ कंचन निवासी ग्राम बराछी थाना रैपुरा द्वारा थाना पर सूचना दी गई की अभियुक्त धर्मराज सिंह उर्फ लाला उपरोक्त द्वारा लापरवाही पूर्वक अपने खेत से बिजली के नंगे तार मेरे खेत में डाल दिए जिससे खेत पर गए मेरे पिता कौशल किशोर की करंट लगने से मृत्यु हो गई कि सूचना पर थाना रैपुरा पर मु0अ0सं0 38/022 धारा 304 भादवि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी द्वारा की गई। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 08.05.022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह, पैरोकार मुख्य आरक्षी आनंद कुमार तथा मोनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम जनपद चित्रकूट द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 218/017 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामनिहोरी पुत्र नत्थुराम निवासी ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह, पैरोकार मुख्य आरक्षी आनंद कुमार तथा मोनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2017 धारा 353,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त विनय द्विवेदी उर्फ बूली पुत्र सत्येन्द्र द्विवेदी निवासी ऐलहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।